

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

08 07
2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सिंगा तियू, पिता- स्व० छोटा वामिया तियू, ग्राम-अमिता, थाना- मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-नगरपालिका वार्ड नं० 1, थाना नं०-644, खाता नं०-90, प्लॉट नं०-596, रकवा-0.10 एकड़ भूमि वर्तमान में झारखण्ड सरकार नगर विभाग के अधिसूचना सं० 3034, दिनांक 03.09.2011 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र से अलग कर इसे मौजा डिलियामार्चा, थाना नं० 108 ग्रामीण क्षेत्र में कर दिया गया है। भूमि क्रेता विशाल पुरती, पिता- सोनाराम पुरती, ग्राम-बड़बिल, थाना-मुफसिल, जिला प० सिंहभूम झारखण्ड के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम से नामान्तरण मुकदमा सं० 245/2010-11 द्वारा नामारित होकर है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-447, दिनांक 02.07.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निर्माण एवं देन-परिदेन हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता विशाल पुरती, पिता- सोनाराम पुरती, ग्राम-बड़बिल, थाना-मुफसिल, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 1.76 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक सिंगा तियू, पिता- स्व० छोटा वामिया तियू, ग्राम-अमिता, थाना- मुफसिल, जिला प० सिंहभूम ने क्रेता विशाल पुरती, पिता- सोनाराम पुरती, ग्राम-बड़बिल, थाना- मुफसिल, जिला प० सिंहभूम के पास 12,00,000.00 (बारह लाख) रूपये में मौजा-नगरपालिका वार्ड नं० 1, थाना नं०-644, खाता नं०-90, प्लॉट नं०-596, रकवा-0.10 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा